अफ़सरों की पत्नियों के लिए बनती बिगड़ती वरिष्ठता सूची

फरीदाबाद (म.मो.) राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों एवं प्राध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची का निर्धारण एक पहेली बनकर रह गया है। इस संबंध में समय-समय पर नीतिगत निर्णयों में व्यक्ति विशेष या वर्ग-विशेष से संबंधित लोगों को निजी रूप से लाभ पहुंचाने के प्रयासों के फलस्वरूप वरिष्ठता सूची को लेकर मचे बवाल के लिए अफसरशाही पूर्ण रूप से जिम्मेवार है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने 7 जनवरी 2010 को राजकीय वेबसाइट (www.haryana.gov.in) पर 8 जनवरी 2010 को समाचार पत्रों द्वारा एवं 12 जनवरी को राज्य के समस्त प्राचार्यों को पत्र भेजकर एक नई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की है जो 1 दिसंबर 2009 की स्थिति पर आधारित है। सभी प्राचार्यों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि संशोधित वरिष्ठता सूची सभी संबंधित प्राध्यापकों/प्राध्यापिकाओं से नोट करवा ली जाए तथा इस संबंध में यदि कोई आपत्ति पत्र दिया जाना है तो ऐसी आपत्ति 30 दिन के अंदर-अंदर राजेश जोगपाल, (एचसीएस) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कमरा नं. 4, उच्चतर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में (जो कि शिक्षा सदन, सेक्टर-5 में स्थित है) में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि राजेश जोगपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो इस विषय से संबंधित प्रतिवेदनों एवं आपत्तियों के बारे में निर्णय करेगी।

सरकारी पक्ष के अनुसार सार्वजनिक नोटिस द्वारा संशोधित वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि सरकार को वरिष्ठता सूची में अनियमितताओं के बारे में बहुत से प्रतिवेदन प्राप्त हुए और उनका निरीक्षण करने के उपरांत एक संशोधित वरिष्ठता सूची का मसौदा जारी किया गया है। इस मसौदे को तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है।

1. उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें 1982 से पहले प्राध्यापक/प्राध्यापिकाओं के पद पर नियुक्ति दे दी गई थी उनका वरिष्ठता क्रमांक वही रखा जाएगा जो अब तक चल रहा है।

2. 1982 या उसके बाद में लोक सेवा आयोग हरियाणा द्वारा चयनित शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक आयोग की सिफारिशों के अनुरूप रखा गया है।

3. विभागीय कमेटियों द्वारा समय-समय पर चयनित शिक्षकों का वरिष्ठता निर्धारण राज्य की स्थापित नीति के तहत किया गया है जिनका उल्लेख नीचे दिया गया है।

क. विभिन्न सिफारिशों द्वारा विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों/प्राध्यापिकाओं की संयुक्त वरिष्ठता सूची उनके द्वारा चयन प्रक्रिया में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की गई है।

ख. यदि दो व्यक्तियों को एक जैसे अंक प्राप्त हुए हैं तो ऐसे में उम्र में बड़े व्यक्ति को वरिष्ठता में प्राथमिकता दी गई है।

ग. यदि एक से ज्यादा व्यक्तियों के प्राप्तांक एक जैसे हैं तथा उनकी उम्र भी एक जैसी है तब वर्तमान नौकरी में ज्वाइन करने की तारीख को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता क्रमांक का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त सूचना को अक्षरक्ष: सत्य मान लिया जावे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राज्य सरकार अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिवेदनों पर गंभीरता से विचार करके उनके द्वारा दायर आपत्तियों को निपटाने के लिए तत्पर है परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वर्तमान में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों एवं प्राध्यापिकाओं से बातचीत करने पर पाया गया कि राज्य के पूर्व मुख्य सचिव की पत्नी सविता तायल को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने के उद्देश्य से, पिछले 25 वर्षों से चली आ रही वरिष्ठता सूची में परिवर्तन किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सन् 1985 में तत्कालीन मुख्य सचिव की पत्नी को पदोन्नत करने के उद्देश्य से उस समय पुरुष वर्ग की वरिष्ठता सूची एवं स्त्री वर्ग की वरिष्ठता सूची को संयुक्त वरिष्ठता सूची में बदला गया था।

उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर 1986 को जारी पत्र क्रमांक 4/215-85 सी-1 (1) के माध्यम से उच्चतर शिक्षा विभाग ने पुरुषों एवं महिलाओं की अलग-अलग वरिष्ठता सूचियां जारी की थी तथा इन सूचियों की वरिष्ठता 1 जनवरी 1984 की तिथि पर आधारित थी। राज्य सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तों में 22 अप्रैल 1986 को जारी अधिसूचना के द्वारा परिवर्तन कर दिया था। यह सेवा शर्तें पत्र क्रमांक 4/223-87 सी-1 (4) दिनांक 24.6.1988 के द्वारा जारी की गई परंतु इसके लिए वैद्य तिथि 22 अप्रैल 1986 मानी गई है। इस संयुक्त वरिष्ठता सूची के बारे में आपत्तियां एवं प्रतिवेदन 20 सितंबर 1988 तक आमंत्रित किए गए थे। मतलब आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए लगभग 3 महीने का समय दिया गया था। इस संबंध में जारी सूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि 20 सितंबर 1988 के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग की वरिष्ठता सूचियों के आधार पर प्राध्यापक/प्राध्यापिका को पदोन्नति देकर प्राचार्य/प्राचार्या का पद देने का निर्णय उस समय दोनों वर्गों के संख्याबल के आधार पर किया जाता था। उदाहरण के तौर पर 1 जनवरी 1984 को पुरुष वर्ग में कुल 903 सदस्य थे जबकि महिला वर्ग में मात्र 309 प्राध्यापिकाएं कार्यरत थी। अत: पदोन्नति करते समय पुरुष/महिला वर्ग का अनुपात लगभग 3:1 था। इस अनुपात में पदोन्नति करने से उच्च पदाधिकारी की पत्नी को पदोन्नति का अवसर जल्दी नहीं मिल पाता, अत: दोनों कैडर को समायोजित कर संयुक्त कैडर बनाकर उन महानुभाव की श्रीमति को पदोन्नत कर प्राचार्य बनाया गया। कैडर समायोजन की प्रक्रिया में तत्कालीन पुरुष कैडर के कुछ लोग 1 साल से डेढ़ साल देरी से पदोन्नति पा सके तो कुछ लोग बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत हो गए। जिन एक दो लोगों ने इस बारे में प्रतिवेदन या आपत्ति विभाग को भेजी तो उनको 'समझा' दिया गया कि विभाग में नौकरी करनी है तो जिस माहौल में हो उसमें रहकर काम करते रहो।

इस निर्णय के उपरांत एक समय में लगभग 30-35 महाविद्यालयों में महिलाएं प्राचार्य पद पर आसीन हो गई थीं। राज्य सरकार ने 22/4/1986 को यथास्थिति मानते हुए जो वरिष्ठता सूची जारी की उसके पश्चात 1/1/1987, 1/1/1988, 1/1/1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2004 एवं 31/12/2007 में वरिष्ठता सूचियां जारी की हैं जिनमें वरिष्ठता क्रमांक 22/4/1986 की स्थिति के अनुरूप है। आरोप है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर सीडब्ल्यूपी नं. 8673/2003 (सुमन गुलाब बनाम हरियाणा सरकार) में वरिष्ठता में परिवर्तन करने के बारे में स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठता में परिवर्तन करना अनिवार्य हो तो इस परिवर्तन को लागू करने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना अनिवार्य है तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के बाद ही वरिष्ठता क्रमांक में बदलाव किया जा सकता है तथा इस संबंध में प्राप्त प्रतिवेदनों का भी निपटारा करना अनिवार्य है।

एक अन्य कोर्ट केस में कुछ प्राध्यापकों द्वारा वर्ष 2006 में वरिष्ठता सूची को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका (सीडब्ल्यूपी 11779/2006, हरीशंकर डूडी व अन्य बनाम हरियाणा सरकार) में सरकार की तरफ से शपथपत्र कोर्ट में दिया गया है जिसके अनुसार उपरोक्त प्राध्यापकों ने 1987-88 में वरिष्ठता सूची के जारी होने पर कोई प्रतिवेदन नहीं दिया था। अत: इस समय (2006 में) उनके प्रतिवेदन समयबद्ध हैं अत: उनकी याचिका इसी आधार पर रद्द कर दी जानी चाहिए।

उपरोक्त सीडब्ल्यूपी (11779/2006) को 15 मार्च 2007 को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के उपरांत याचिका खारिज कर दी गई थी जिसके अनुसार न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी प्रतिवेदन देने वाले प्राध्यापकों के प्रतिवेदन को यथोचित निर्णय लेकर 6 माह में संशोधित एवं फाइनल वरिष्ठता सूची जारी करने का आदेश दिया गया। तत्कालीन उच्चतर शिक्षा निदेशक ने अपने आदेशों में सभी प्रतिवेदनों को रद्द करने का निर्णय जारी कर दिया। इस निर्णय को चैलेंज करते हुए प्राध्यापकों ने एक याचिका (सीडब्ल्यूपी नं. 19233/2007, हरी सिंह डूडी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य सरकार) दायर की है जो अभी उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

सीडब्ल्यूपी 11779/2006 में जारी उच्च न्यायालय के 15 मार्च 2007 के आदेशों के अंतर्गत जब राज्य सरकार ने 15 मार्च 2007 के आदेशों के अंतर्गत जब राज्य सरकार ने जून 2008 तक भी संशोधित वरिष्ठता सूची जारी नहीं की तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में प्राध्यापक राजकुमार कादियान, मनोविज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय बहादुरगढ़ ने एक न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की। इस याचिका के जवाब में तत्कालीन शिक्षा सचिव राजन गुप्ता, आईएएस कमिश्नर एवं सचिव हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर अपने जवाबी शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वरिष्ठता सूची हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप ए सेवा शर्तें 1986 के आधार पर बनाई गई है। उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए सभी प्राध्यापकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के उपरांत वरिष्ठता सूची को अप्रैल 2008 में अंतिम रूप देकर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी कंट्रोलर विभाग को पत्र क्रमांक 4/32-2008 सी-5 (3) दिनांक 25/4/2008 के माध्यम से छपाई हेतु भेजा जा चुका है तथा वहां से 23-6-2008 को वरिष्ठता सूची में वांछित त्रुटी सुधार करने के उपरांत अंतिम रूप दिया जा चुका है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत ने अवमानना की याचिका में आदेश दिए कि सरकार 30-9-2008 तक फाइनल वरिष्ठता सूची तैयार करके संबद्ध शिक्षकों को सूचित करे। उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरांत उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सितंबर 2008 को फाइनल वरिष्ठता सूची जारी की गई। इस सूची के जारी होने के उपरांत राज्य सरकार ने दिसंबर 2009 की तिथि को कट-ऑफ दिनांक मानते हुए अनुमानित वरिष्ठता सूची जारी की है जिसका उद्देश्य एक उच्चाधिकारी की पत्नी को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि दो महिलाओं (श्रीमति अनिता प्रताप सिंह एवं श्रीमति शोभा चुघ) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका (सीडब्ल्यूपी 9044/2009) दायर करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कुछ पुरुष प्राध्यापकों को वरिष्ठता क्रमांक को नजरअंदाज करके पदोन्नत कर दिया है जबकि जो महिलाएं पदोन्नत प्राध्यापकों से सीनियर हैं उनका हक छीन लिया गया है। वस्तुस्थिति की जानकारी लेने पर पाया गया कि यह दोनों महिलाएं 1982 में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा अंग्रेजी के प्राध्यापक के पद के लिए चयनित हुई थीं। उस समय पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग की दो अलग-अलग वरिष्ठता सूचियां थी जिनमें अनिता प्रताप सिंह एवं शोभा चुघ का वरिष्ठता क्रमांक महिला वर्ग में क्रमश: 235 व 237 था जबकि पुरुष वर्ग में चयनित प्राध्यापकों का पुरुषों की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 736 से शुरू हुआ था। 24/6/1988 को जारी संयुक्त वरिष्ठता सूची में अनिता प्रताप व शोभा चुघ का वरिष्ठता क्रमांक 1072 व 1074 था जो दिसंबर 2007 की सूची में घटकर 131 व 133 हो गया। राज्य सरकार द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों का 24/6/1988 की संयुक्त वरिष्ठता सूची में क्रमांक 965 से शुरू होता है जो दिसंबर 2007 की सूची में घटकर मात्र 44 रह गया है। अब तक पदोन्नत प्राचार्यों का वरिष्ठता क्रमांक 76 है जबकि अनिता प्रताप व शोभा चुघ का वरिष्ठता क्रमांक क्रमश: 131 व 133 है ऐसे में महिलाओं के साथ अन्याय का आरोप मिथ्या प्रतीत होता है परंतु राज्य सरकार ने जो नई वरिष्ठता सूची जारी की है उसमें कुछ महिलाओं को पदोन्नत प्राचार्यों से भी वरिष्ठ दिखाया गया है जो उच्चाधिकारी की पत्नी को पदोन्नत करने हेतु 25 वर्षों की वरिष्ठता सूची जिसको तैयार करने के आदेश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी जारी किए हैं उनको मात्र कुछ प्रतिवेदनों की प्राप्ति के बहाने बदलने का षडयंत्र रचा गया है। यदि दिसंबर 2009 की वरिष्ठता सूची (जो जनवरी 2010 में जारी की गई है) को लागू किया गया तो बहुत से पुरुष प्राध्यापक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार जनवरी 2010 में जारी वरिष्ठता सूची पर ढेरों प्रतिवेदन व आपत्तियां विभाग में प्राप्त हुई हैं जिनकी संख्या 150 से भी ज्यादा है। कुछ प्राध्यापकों, जिनकी पदोन्नति होने वाली थी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।

नई जारी की गई वरिष्ठता सूची में पदोन्नत प्राध्यापकों का नाम भी शामिल किया गया है जो पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल से ज्यादा समय से प्राचार्य के पद पर आसीन हैं। दिसंबर 2008 व जून 2009 में लगभग 3 प्राचार्य पदोन्नत किए गए हैं। सरकार की मेहरबानी से अब कॉलेज प्राध्यापक पठन-पाठन की अपेक्षा अपनी वरिष्ठता को लेकर मुकदमेबाजी में ज्यादा व्यस्त रहा करेंगे।

स्टाम्प बिक्री : खजाने की बजाय स्टेट बैंक से, जनता की जेब कुतरने का एक और तरीका

फ़रीदाबाद (म.मो.)। राज्य सरकार की आय की एक बड़ा साधन है स्टाम्प बिक्री। छोटे मोटे दस्तावेज-शपथ पत्र, पॉवर ऑफ़ अटार्नी आदि के अलावा जमीन जायदादों की खरीद फ़रोख्त व कोर्ट फ़ीस के लिए लाखों रुपए के स्टाम्प पेपर आम आदमी को खरीदने पड़ते हैं। ये पेपर 2009 तक राज्य सरकार के खजाना विभाग द्वारा बेचे जाते थे जिनका पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में जमा होता था। इन पेपरों की छपाई का काम महाराष्ट्र के नासिक में होता था। लेकिन वर्ष 2009 में हरियाणा सरकार ने अपने खजाना विभाग को इस काम से बिल्कुल मुक्त करके सारा काम एसबीआई को दे दिया। शुरू में स्टाम्प खरीददारों को छूट थी कि वे खजाने से स्टाम्प खरीदें या एसबीआई से, लेकिन कुछ माह बाद यह काम पूर्णतया एसबीआई के हवाले कर दिया गया। इससे जहां अरबों रुपए के स्टाम्प खजानों में पड़े बेकार हो गए वहीं इस काम पर लगे कर्मचारी भी फ़ालतू हो गए, जिन्हें खाली बैठाकर पूरा वेतन देना पड़ रहा है। इस बारे में सरकार का तर्क यह है कि खजाना विभाग के कर्मचारी स्टाम्प खरीदने वालों से रिश्वत लिया करते थे, जबकि बैंक कर्मचारी रिश्वत नहीं लेते क्योंकि वे दूध के धुले हुए होते हैं। लेकिन हक़ीकत कुछ और ही है। खजाना विभाग के जो कर्मचारी रिश्वत लेते थे, उनसे लड़ा जा सता था, उनके विरुद्ध शिकायत हो सकती थी, वर्ष 1998 में स्वयं इस संवाददाता ने शिकायत करके ऐसे तीन कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ़्तार भी करवाया था और सैशन कोर्ट से सज़ा भी करवाई थी।

लेकिन एसबीआई के खिलाफ़ तो शिकायत भी नहीं हो सकती, पकड़वाना और सज़ा करवाना तो दूर की बात है, क्योंकि यहां तो बैंक सर्विस चार्ज की पर्ची काट कर लोगों से वसूली करता है। वसूली की दरों की कोई सूची भी खिड़की पर नहीं लगी है। पूछने पर मुश्किल से एक मैनेजर ने बताया कि 100000 रुपए तक के स्टाम्प पर 100 रुपए, 5 लाख तक के स्टाम्प पर 500 रुपए तथा इससे ऊपर 1000 रुपए की पर्ची कटती है। यह पर्ची काटने अथवा स्टाम्प प्राप्त करने के लिए बैंक के बाहर तक लंबी लाइनें लगी रहती हैं। एक स्टाम्प प्राप्त करने के लिए खरीददार को सरकारी शुल्क के साथ-साथ उसे 4 घंटे का समय भी लाइन में लगकर देना होता है। अपने इसी 3-4 घंटे के समय को बचाने के लिए खरीददार खुद लाइन में न लगकर 'एजेंटों' की सेवाएं प्राप्त करते हैं। एजेंट लोग दस-बीस खरीददारों का काम पकड़कर सीधे संबंधित बाबू से बात करते हैं। बाबू का हिस्सा बाबू को तथा अपनी फ़ीस खरीददार से वसूल कर आसानी से स्टाम्प प्राप्त करा देते हैं। इन एजेंटों का 'सेवा शुल्क' उस सेवा शुल्क से बिल्कुल अलग होता है जो बैंक पर्ची काटकर वसूलता है।

जहां तक खजाना कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से निपटने का तर्क है तो, इससे खोखला और वाहियात तर्क कोई हो नहीं सकता। खजाने के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए यदि बैंक विकल्प हो सकता है तो बाकी के महकमों - तहसील, थाना, ट्रांसपोर्ट, हूडा, कराधान आदि के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भी सरकार को ऐसी ही अन्य एजेंसियां खड़ी कर देनी चाहिए। हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्य सचिव धर्मबीर सेवानिवृत होने से पहले राज्य की जनता को यह 'तोहफ़ा' दे गए थे। जानकारों के अनुसार एसबीआई के प्रबंधन से उनकी कोई सांठ-गांठ हुई थी, जिसके चलते बैंक को इतना बड़ा लाभ दिलाया गया और वह भी जनता की कीमत पर।

NOTICE

It is notified for the information that my original certificate of main exam year 2007, Roll No. 2108506 pass out from CBSE, has been actually lost.

Name of the Candidate : Himanshu Khurana

Full Address : H.No. 316, Sector-21B, Faridabad-121001

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06